प्रपत्र-क-बालान सं०-562

# न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

## आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....................................................................तक

जिला–.........राँची...................., दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–.........56..............सन–.....2019–20............ ।

वाद का प्रकार–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत दाखिल खारिज अपील वाद

अर्जीकार–धीरेन्द्र नाथ मुखर्जी बनाम प्रतिपक्षी–अंचल अधिकारी, बुण्डू।

| आदेश की क्रम सं० एवं तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 30-09-2020 | **आदेश**<br>प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी–धीरेन्द्र नाथ मुखजी, पे०–स्व० जीतेन्द्र नाथ मुखर्जी, सा०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–229 R27/2018-2019/बुण्डू में दिनांक–06/01/2019 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया। | |

जमीन का विवरण

| मौजा | थाना | थाना सं० | खाता सं० | खेसरा सं० | रकवा |
|---|---|---|---|---|---|
| बुण्डू | बुण्डू | 28 | 43 | 2671 | 3.5 डीसमील, |
| | | | 44 | 2677/6019 | 5.5 डीसमील, |
| | | | 44 | 2676 | 01 डीसमील, |

चौहदीः– उ०–नीज विक्रेता, द०–नीज विक्रेता,
पू०–प्रस्तावित रास्ता, प०–टी०पी० दत्ता वगैरह।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–229 R27/2018-2019/बुण्डू का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि अवलोकन किया गया। राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार नामांतरण अभिलेख के मिलान हेतु मूल दस्तावेज की जा सकती है। अंचल निरीक्षक के मंतव्यानुसार सुनवाई उपरांत कार्रवाई की जा सकती है। इस स्थिति में अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण अस्वीकृत किया गया है। स्पष्ट होता है कि अंचलाधिकारी के द्वारा बिना जाँच–पड़ताल किए ही नामांतरण अस्वीकृत किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनकर उनसे आवेदित भूमि से संबंधित मूल कागजात प्राप्त करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

अंचल अधिकारी, बुण्डू को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

ह०/- 30/09

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

ह०/- 30/09

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।